# भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

डेयरी प्लांट, हबीबगंज भोपाल– 462024
फोन :– (0755) 2478250 से 253 फेक्स :– 0755 – 2450896
e-mail : sanchi.bhopal@gmail.com

## सैन्य परियोजना (ए.एस.सी बैरागढ़) में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा सूचना

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, के हबीबगंज स्थित डेयरी संयंत्र से भोपाल शहर के मार्ग क्र.30, सैन्य परियोजना (ए.एस.सी बैरागढ़) में लगभग 23 स्थानों पर दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदाकार के पास स्वयं के नाम से वर्ष 2016 या उसके बाद का पंजीकृत इंसुलेटेड वाहन टाटा/आयशर अथवा समकक्ष क्षमता 600 क्रेट होना आवश्यक है। कार्य अवधि तीन वर्ष के लिए प्रभावशील होगी (जिसे आपसी सहमति से एवं कार्य संतोषप्रद होने पर एक–एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु और बढ़ाया जा सकता है।)

इच्छुक पार्टी/व्यक्ति निविदा प्रपत्र ऑनलाईन वेबसाईट https://mptenders.gov.in से रू. 1000/– के भुगतान पर क्रय कर दिनांक 24.07.2019 दोपहर 12:00 बजे से दिनांक 13.08.2019 दोपहर 12:00 बजे तक ऑनलाईन भर सकते है। पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र में वर्णित तकनीकी अर्हता संबंधी वांछित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने के साथ–साथ **भौतिक रूप से तथा ऑनलाईन जमा की गई निर्धारित ई.एम.डी राशि रू.100000/– (एक लाख रूपये मात्र) की पावती भी भौतिक रूप से दिनांक 13.08.2019 को दोपहर 01:00 बजे तक भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय हबीबगंज भोपाल में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा ऑनलाईन निविदा मान्य नहीं की जाएगी।**

प्राप्त निविदाएं दिनांक 14.08.2019 को दोपहर 03:00 बजे से भोपाल दुग्ध संघ के बोर्ड मीटिंग हॉल में उपस्थित निविदाकार/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जाएंगे। निविदा संबंधी शर्तें, मार्ग एवं विस्तृत विवरण का अवलोकन एम.पी.सी.डी.एफ की वेबसाईट http://www.mpcdf.gov.in पर किया जा सकता है। किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध के पास सुरक्षित रहेगा।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

मूल्य रू. 1000/–

# भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
# डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

## साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

| | | |
|---|---|---|
| 1 | निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय | **13.08.2019 दोपहर 12.00 बजे** |
| 2 | निविदा प्रपत्र भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान | **13.08.2019 दोपहर 01:00 बजे तक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल** |
| 3 | तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान | **14.08.2019 अपरान्ह 03:00 बजे** बोर्ड मीटिंग हॉल, भोपाल दुग्ध संघ। |
| 4 | निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत (ई.एम.डी.)राशि | **रू. 100,000/– (एक लाख मात्र) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट के माध्यम से** |
| 5 | परिवहनकर्ता कार्य हेतु ''तकनीकी अर्हताऐं'' का प्रारूप | प्रपत्र 01 |
| 6 | परिवहनकर्ता की सामान्य शर्तें | प्रपत्र 02 |
| 7 | .''भाव पत्र/दरे'' प्रस्तुत करने का प्रारूप | प्रपत्र 03 |

भौतिक निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- धरोहर राशि (**EMD**) की ऑनलाईन पेमेंट की रसीद भौतिक रूप से एक अलग लिफाफा में रखें। जिस पर लिफाफा ''**A**'' लिखा जाए।
- प्रपत्र क्रमांक 1 ''तकनीकी अर्हताऐं'' तथा प्रपत्र क्रमांक 2 ''निविदा की शर्तें'' एक ही बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर लिफाफा ''**B**''– प्रपत्र 1 ''तकनीकी अर्हताऐं'' एवं प्रपत्र 2 निविदा की शर्तें लिखा जावे।
- उक्त दोनों ''**A**'' एवं ''**B**'' बंद लिफाफे एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर कार्यालय में दिनांक 13.08.2019 दोपहर 01:00 बजे तक जमा की जावें। पहले ''तकनीकी अर्हताऐं'' तथा निविदा शर्तों का लिफाफा खोला जावेगा। तकनीकी अर्हताएं में सफल निविदाकर्ताओं की ही ऑनलाईन प्राप्त दरें खोली जाएंगी।
- निविदा प्रपत्र क्रमांक 2 में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- प्रपत्र 3 सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त ''दरों'' को निरस्त समझा जावेगा।

टिप्पणीः—

1. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंसियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी ।
2. निविदा कार्य अवधिः—
   निविदाऐं निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2019—2022 (तीन वर्ष) के लिए आमंत्रित है। आपसी सहमति से एक—एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

3. न्यूनतम अर्हताऐं एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण

| स.क्र. | विवरण | स. क्र. | विवरण |
|---|---|---|---|
| | **टेक्निकल बिड में सफल होने के लिए निविदाकार को निम्न अर्हताऐं अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी।** | | अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा टेक्निकल बिड निरस्त की जायेगी। टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करने के लिये इन दस्तावेजों को स्केन कर ऑन लॉईन अपलोड कर उपलब्ध कराने होगे या भौतिक रूप से प्रस्तुत करें। |
| | **अनिवार्य अर्हताऐं —** | | **अनिवार्य दस्तावेज** |
| 3.1 | अपना परिचय व विवरण उदघोषित करना होगा। स्वामित्व / फर्म / भागीदारी / कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो। | 3.1. | निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के **प्रपत्र क्र.03** को पूर्णतः भर कर अपलोड कर प्रस्तुत करें। फर्म / कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र / मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी / प्रोपराईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है । |
| 3.2 | निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत) / भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। | 3.2 | निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत) / भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति। |
| 3.3 | तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम.डी. राशि की ऑनलाईन पेमेंट की भौतिक रसीद जमा होना चाहिय। | 3.3 | तकनीकी बिड के साथ वांछित ई.एम.डी. राशि जमा हों। |
| 3.4 | आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाताधारक हो। | 3.4 | आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति। |
| **3.5** | वित्तीय वर्ष 2015—16, 2016—17 एवं 2017—18 की आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा हो। | **3.5** | आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2015—16, 2016—17 एवं 2017—18 की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति। |
| 3.6 | निविदा शुल्क जमा किया हो। | 3.6 | निविदा फार्म क्रय किये जाने / वेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के शुल्क की e-payment के माध्यम से |

5. <u>निविदा दस्तावेज का ऑनलाइन क्रय</u> –

निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्युमेन्ट) वेबसाइड http:// www.mptenders.gov.in पर निविदा दस्तावेज के मूल्य की राशि रू.1000/– (रू. एक हजार मात्र) ऑनलाइन भुगतान कर क्रय की जा सकती है।

<u>निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :</u>

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर डिजीटल हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

| **क्रं.** | **निविदाकार का स्वरूप** | **निविदा कौन भर सकेगा (निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति डिजीटल हस्ताक्षर से ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगें)** |
|---|---|---|
| 1 | एकल स्वामित्व | स्वामी स्वयं या उसका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति |
| 2 | भागीदारी फर्म | सभी भागीदार या उनका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति |
| 3 | कंपनी | कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति<br>(कंपनी के अर्न्तनियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी) |

**प्रपत्र क्र.–1**

| नवीन पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें |
|---|

**प्रति,**

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.**
**भोपाल**

**विषयः** डेयरी संयंत्र, भोपाल से आर्मी सप्लाई, (ASC बैरागढ़) भोपाल हेतु परिवहनकर्ता के लिये तकनीकी जानकारी बावत्।

**महोदय,**

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहनकर्त्ता कार्य हेतु दिनांक ––––––––– को ––––––––– में प्रकाशित निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि रू. 100,000/– (रूपये एक लाख मात्र) की भौतिक रसीद क्रमांक ................................दिनांक ................... संलग्न कर रहा हूँ।

## *तकनीकी अर्हताऐं*

| क्र. | आवश्यक अर्हता | विवरण | अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज |
|---|---|---|---|
| 1. | ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन प्रमाण) | | संस्था पंजीयनकर्त्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र |
| 2. | यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता | | पंजीकृत पार्टनर शिप डीड |
| 3. | संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम | | संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र |
| 4. | निविदाकर्त्ता का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है। | | पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें। |
| 5. | उपलब्ध वाहन का प्रकार : मॉडल, तथा पंजीयन क्रमांक स्वयं का/संस्था के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है। | | उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति लगायें। |
| 6. | बैंक खाता क्रमांक | | वित्त वर्ष 2018–19 की बैंक स्टेट मेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति लगावें। |
| 7. | एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस | | एफ.एस.एस.ए.आई लायसेंस /आवेदन की छायाप्रति संलग्न करें। |
| 8. | ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद लगाना अनिवार्य है। | | ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रू.100000/– (एक लाख रूपये) की रसीद संलग्न करें। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | एमपीसीडीएफ अंतर्गत किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी कार्य हेतु ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में वचन पत्र लगाना अनिवार्य है। | | ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में वचन पत्र संलग्न करें। |
| 10. | दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी / कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है के संबंधी वचन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। | | दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी / कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है के संबंधी वचन पत्र संलग्न करें। |
| 11. | वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का आयकर जमा विवरण संलग्न करना अनिवार्य है। | | आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। |

**नोटः–**

1. उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों संलग्न करना अनिवार्य है।
2. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर ——————————————
नामः– ———————————————
पताः– ———————————————
टेलीफोन नंबर ————————————
मोबाईल नंबर ————————————

**प्रपत्र क.–2**

## *साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहनकर्त्ता हेतु* निविदा की शर्तें

1. निविदाकार यदि स्वयं प्रोपराईटर है तो निविदा पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. निविदाकार को दूध एवं दुग्ध पदार्थो के वितरण/परिवहनकर्त्ता का अनुभव होना चाहिये। एक समान दर होने पर वर्तमान में कार्य कर रहे परिवहनकर्ता को वरियता दी जाएगी। यदि वर्तमान परिवहनकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों की समान दर पाई जाती है तो परिवहनकर्ता का चयन लॉटरी के माध्यम से होगा।
3. निविदाकार के पास स्वयं का इन्सयुलेटेड वाहन वर्ष 2016 या उसके बाद के पंजीकृत वाहन होना अनिवार्य है। यदि निविदाकार के पास निविदा प्रस्तुत करते समय इंसुलेटेड वाहन उपलब्ध नहीं है तो निविदा स्वीकार होने की दिनांक से एक माह की अवधि में इन्स्युलेटेड बॉडी बनवाकर (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 2इंच "या पफ इन्सूलेशन 2इंच) वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी।
4. निविदाकार को निविदा के साथ रू.100,000/– (रू. एक लाख रूपये) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट द्वारा ई.एम.डी. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा एवं उसकी रसीद भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार की निविदा पर विचार नही किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जाऐगी।
5. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
6. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को निर्धारित प्रतिभूति राशि संघ में जमा करना अनिवार्य है।
7. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्ट मनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही निविदाकार की ऐसी निविदा को निरस्त समझा जावेगा।
8. आवश्यकता प्रतिपादित होने पर केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
9. निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार रू. 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
10. निविदाकार को निर्धारित स्थान पर दरें वर्णित करनी होगी।
11. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
12. निविदाकार दरें वर्तमान में प्रचलित डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करें। अनुबंध अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसका अनुपातिक प्रभाव परिवहनकर्त्ता को दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत परिवहन दर पर लागू किया जावेगा।

13. निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्ते आवश्यक रूप से पढ़कर समझ लें।
14. निविदाकर्त्ता को निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में बतौर प्रतिभूति राशि रू.300,000/— (तीन लाख मात्र) नगद संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि रू.100000/— समायोजन योग्य होगी।
15. निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्त्ता को कार्य अवधि तीन वर्षो के लिये प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्त्ता का कार्य तीन वर्षो में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक—एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी।
16. निविदा अवधि (आगामी तीन वर्ष) के दौरान वितरण मार्ग पर वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग प्राप्त होने पर परिवहनकर्त्ता को अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था करनी होगी जिसका संघ द्वारा पृथक भुगतान दिया जावेगा।
17. निविदाकार द्वारा प्रपत्र—1, प्रपत्र—2 एवं प्रपत्र—3 के प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत की जावे।
18. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताऐं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रबंध द्वारा निर्णय लिये जाने पर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।
19. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अनुबंध का पालन समय सीमा में कर आवश्यक लाईसेंस बनवाना होगा।
20. भविष्य में कभी भी शासन द्वारा निर्धारित अन्य किसी भी प्रकार का लाइसेंस अथवा दस्तावेज प्रावधानित किये जाते हैं तो निविदाकार/ठेकेदार को दुग्ध संघ द्वारा सूचित करने पर स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे।

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्त्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समझ ली हैं तथा मैं/हम सभी शर्तो को मानने के लिये सहज तैयार हैं/हूँ। निविदा में दी गई संपूर्ण जानकारी पूर्णतः सत्य हैं। यदि मेरे द्वारा निविदा में दी गई जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्र. 01 से 21 तक वर्णित शर्तो का पालन नहीं करता है/हूँ एवं मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं अपनी सहमति देता हूँ।

**हस्ताक्षर**

**निविदाकार का नाम एवं पता**

## **वचन–पत्र**

मैं...................................... निवासी....................................भोपाल दुग्ध संघ में ................................... कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह वचन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा भोपाल दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक                                                                                                    हस्ताक्षर

नाम————————

पता ————————

————————

————————

हस्ताक्षर————————

## वचन–पत्र

मैं ................................निवासी ...................................भोपाल दुग्ध संघ में ................................... कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह वचन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मुझे एमपीसीडीएफ अंतर्गत किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवंटित किसी भी कार्य में अनुबंध की नियम शर्तों का उल्लंघन करने से कार्य निरस्त अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक हस्ताक्षर

नाम————————

पता ————————
————————
————————
हस्ताक्षर————————

**प्रपत्र क्र.–3**

## भाव पत्र/दरें

मेरे द्वारा भोपाल डेयरी संयंत्र से सैन्य परियोजना, ASC बैरागढ़ को इंसुलेटेड वाहन जिसकी **भार ढोने की नियमानुसार न्यूनतम क्षमता 600 क्रेट** है, से दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन करने एवं क्रेट वापसी की दरें निम्नानुसार हैं :–

| क्र. | दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण व्यवस्था | इंसुलेटेड वाहन से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन करने की दर रू. प्रतिट्रिप | |
|---|---|---|---|
| | | अंको में | शब्दों में |
| 1. | पृष्ठ क्र.18 में वर्णित समस्त प्वाइंट पर | | |

नोट :–

- दरें केवल ऑनलाईन ही भरी जावे। भौतिक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त समझा जावेगा।
- दो अथवा अधिक निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दरें समान पाये जाने पर वर्तमान परिवहनकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान परिवहनकर्ता की दरें न्यूनतम न होने पर निविदाकारों के मध्य लॉटरी ड्रॉ निकालकर चयन किया जाएगा।

दिनॉक ...................                    निविदाकार का नाम...............................

हस्ताक्षर................................................

**प्रपत्र क.–4**

## दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहन/वितरण हेतु अनुबंध प्रपत्र

यह अनुबंध आज दिनांक .....................को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल एवं श्री ——————————————द्वितीय पक्ष जिन्हें आगे ठेकेदार के नाम से संबोधित किया जावेगा, के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत् निम्न शर्तो के के अधीन दुग्ध संघ व परिवहकर्त्ता कार्य संपादित करेंगे :–

ठेकेदार द्वारा भोपाल दुग्ध संघ, भोपाल मुख्य संयंत्र से मार्ग आर्मी सप्लाई कोर समस्त वितरण केन्द्रों तक दुग्ध पैकेटों एवं दुग्ध वितरण केन्द्रों से खाली क्रेट भोपाल दुग्ध संघ, भोपाल मुख्य संयंत्र तक परिवहन करने के वास्ते अपने निजी वाहन क्र. .................................... से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ, भोपाल द्वारा निर्धारित समय पर परिवहन हेतु निविदा किया है एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इसमें आगे लिखे अनुबंध एवं शर्तो पर संविदाकार के निविदा पर परिवहन दर रू. .......................... प्रतिट्रिप आना व जाना मिलाकर स्वीकार किया है एवं भोपाल मुख्य संयंत्र, भोपाल से ए.एस.सी. कार्यालय/समस्त वितरण केन्द्रों पर में आपूर्ति की दशा में दर रू. —————— प्रतिट्रिप आना व जाना मिलाकर स्वीकार करता हूँ।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यवसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् ठेकेदार को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। इसके लिये दुग्ध संघ की किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि ठेकेदार इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो उस दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस ठेकेदार का कार्य छोडने बावत् देना होगा।
2. यह कि ठेकेदार होने पर ठेकेदार निर्धारित मार्गो एवं स्थानों पर निजी वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा। ऐसे मार्ग केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी और आवश्यकतानुसार समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। जो ठेकेदार को बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी निविदा में दर्शाये गये केन्द्रों में केन्द्र बढाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ को होगा, इसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. यह कि निविदा में निर्देशित दरों में वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय **दूध एवं दुग्ध उत्पाद** की क्रेटस तथा केन वाहन में लोड करने व मार्ग के विक्रय केन्द्रों पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में केन्द्रों से क्रेट/पैकेट व केन आदि वापस लेकर भोपाल डेयरी में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौंपने के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।
4. (अ) ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट डेयरी से प्राप्त किया जाना है, उतने ही क्रेटस रिटर्न लाते समय डेयरी में वापस कर रसीद प्राप्त करना चाहिये अन्यथा जितने क्रेटस कम वापस किये जावेंगे उतने ही क्रेंटों की कीमत की राशि ठेकेदार के बिल में से काटी जावेगी।
   (ब) विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन निर्धारित सामग्री ठेकेदार को चालान में दर्शायी गई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाये जाने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं इसी प्रकार वापिस (रिटर्न) आने वाली सामग्री भी पूर्ण रूप से डेयरी के प्लान्टों, केन्द्रों से एकत्रित कर पूर्ण रूप से डेयरी प्लांट में वापस करनी होगी। यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो वस्तु की कीमत की कुल रकम ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
5. यह कि ठेकेदार वाहन के साथ चलने वाले चालक तथा नियुक्त कर्मचारियों के नाम तथा फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा अधिकृत परिचालक, वाहन चालक, संघ के वितरण स्थल पर वितरण मेन शीट में वाहन के ओन के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दुग्ध के परिवहन के दौरान गाडी बिगड जाने की स्थिति में ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह दूसरी गाडी भेजकर या दूसरा इंतजाम करके समय पर कार्य संपन्न करें अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई भी हानि हुई तो वह ठेकेदार का पूर्ण दायित्व होगा, जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दण्ड दिया जा सकता है। एक से अधिक बार इस प्रकार की

घटना होने पर निविदा निरस्त करके ठेकेदार की जमा प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी।

6. यह कि वाहन की खराबी अथवा ठेकेदार पक्ष की ओर से किसी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दुग्ध खराब होने पर या टूट–फूट होने पर जो मूल्यांकित हानि होगी, उसका संपूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा।

7. यह कि ठेकेदार हर पखवाडे में एक दिन कार्यालय आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर लें अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जावेगी जो ठेकदार को मान्य होगी।

8. यह कि ठेकेदार अपने वाहन से दूध व दूध के पेकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी कि शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो निम्नानुसार कार्यवाही की जाऐगी :–

(1) वितरण वाहन की चैकिंग के दौरान यदि एक से उन्नीस दूध पैकेट तक अधिक पाये जाते हैं तो परिवहनकर्ता से दूध की कीमत की पाँच गुना राशि का अर्थदण्ड वसूल की जावेगी।

(2) एक क्रेट या उससे अधिक दूध/दूध पैकेट पाये जाने पर दूध की कीमत का 20 गुना राशि का अर्थदण्ड परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा एवं वाहन लोडर को हटाया जाऐगा। पंचनामा कटौत्रा योग्य राशि या अन्य कोई भी वसूली परिवहनकर्ता के देयक से करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

9. **यह कि ठेकेदार/वाहन चालक, ठेकेदार के कर्मचारी वापसी में सभी केटस/केन लायेंगे एवं दुग्ध चालान की प्रविष्ठियों में किसी प्रकार की काटा–पीटी नहीं करेंगे। ना ही दूध की मात्रा स्वेच्छा से घटायेंगे/बढायेंगे। ऐसा पाए जाने पर ठेकेदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।**

10. **य**ह कि दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध को ठेकेदार या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विकय नहीं करेंगे, ऐसा पाया गया तो विकय की गई दूध की कीमत से दुगना कीमत वसूल की जावेगी।

11. यह कि ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध की मात्रा स्तर से किसी प्रकार की गडबडी करेगा तो उसकी जवाबदारी ठेकेदार की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दुग्ध संघ के अधिकारी मौके पर जाने के समय यदि प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित दुग्ध संघ प्रयोगशाला में परिपेक्ष्य में जाँच की प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित दूध की पुष्टि हुई तो तुरन्त निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल डेरी का होगा एवं प्रतिभूति राशि भी जप्त कर ली जावेगी।

12. यह कि ठेकेदार के कर्मचारी यदि वितरित किये जाने वाले दूध की रिटर्न (प्रयोगशाला) परीक्षण में जाँच की प्रथम दृष्टि में अपमिश्रण की पुष्टि होती है तो ठेका निरस्त करके प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

13. यह कि ठेकेदार एवं ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी प्रकार संघ के कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ऐसे कर्मचारी की शिकायत प्राप्त होने पर कर्मचारी को तुरंत हटाना होगा। निरंतर किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उनका अनुबंध तुरन्त निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जावेगा।

14. भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के सुरक्षा गार्ड द्वारा जाँच करने की दशा में ठेकेदार के अटेन्डेंट दुग्ध के केट उठाकर निरीक्षण को संपन्न करवायेगा। सुरक्षा गार्ड के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जावेगा व उसके पूर्ण जाँच किये जाने में सहयोग देंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जाँच पडताल होने के पश्चात् ही दुग्ध वितरण वाहन डेयरी से बाहर जाने दिया जावेगा।

15. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेन्डेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाडी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाडी में पाये गये तो परिहवनकर्ता से रूपये 25/– (रूपये पच्चीस मात्र) प्रति व्यक्ति दर से वसूल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। विशेष परिस्थियों में यदि वाहन निर्धारित समय से 15 मिनिट तक अवधि में विलम्ब से आता है तो उसकी छूट दी जावेगी तत्पश्चात् अन्य वाहन की व्यवस्था में जो

वास्तविक देय होगा या ठेके के अनुसार दिया जाने वाला किराया होगा उसका दुगना (जो भी अधिक देय हो) ठेकेदार से वसूल किया जावेगा। जितने दिन ठेकेदार दुग्ध वितरण के लिये अपना वाहन नहीं भेजेंगे, उपरोक्तानुसार ही प्रतिदिन के हिसाब से वसूली की जावेगी। इसके अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था के लिये रूपये 200/— (रू. दो सौ मात्र) पृथक से वसूल किया जावेगा।

16. यह कि दुग्ध वितरण के पश्चात् रिटर्न लेकर निर्धारित समय में डेरी में आना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में वाहन यदि 15 मिनिट की अवधि में विलम्ब से आता है तो छूट दी जावेगी। तत्पश्चात् रू. 100/— प्रति घंटा विलम्ब से आने के लिये पेनाल्टी के रूप में बिल से कटौत्रा किया जावेगा।

17. यदि ठेकेदार का वाहन खराब हो जाता है तो महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक या प्रबंधक (विपणन) की लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह दूसरी वाहन की व्यवस्था करेगा। जिसकी अधिकतम अवधि पन्द्रह (15) दिन की रहेगी। तत्पश्चात् स्वयं का वाहन कार्य पर लगाना होगा। ऐसा न करने पर अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ का होगा ।

18. यह कि ठेकेदार का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था ठेकेदार करेगा उसकी संपूर्ण जानकारी कार्यालय को देनी होगी।

19. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल, डेयरी भोपाल अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना ठेकेदार दुग्ध क्रेटों से भरी गाडी के साथ किसी अनाधिकृत व्यक्ति या सामान को नहीं ले जा सकेगा।

20. देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, ठेकेदार को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक देयक संघ में जमा कराना होगा। मासिक देयक के साथ दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय मात्रा की प्राप्ति ए.एस.सी बैरागढ़ से प्राप्त कर परिवहनकर्ता को देना होगी। यदि दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय मात्रा तथा ए.एस.सी द्वारा प्राप्त मात्रा में भिन्नता पायी जाती है तो उस मात्रा की राशि परिवहन देयकों से कटोत्रा की जाएगी। देयकों का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर.टी.जी.एस द्वारा किया जावेगा।

21. वाहन चालक व अटेन्डेन्ट द्वारा शीतकक्ष से दुग्ध के पैकेट/क्रेट मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार निकालेगा। अभद्र व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर प्रबंधक (प्लांट ऑपरेशन) द्वारा शिकायत करने पर दोशी कर्मचारी को ठेकेदार तुरन्त बदल देगा।

22. ठेके की शर्तो एवं अवधि दिनांक .......................... से ठेके की अवधि ............................के लिये प्रभावशाली रहेगी। शर्तो की अवहेलना करना एवं संतोषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगें एवं अनुबंध समाप्त किये जाने पर ठेकेदार ऐसी संभावित के कारण कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

23. वाहन का आकस्मिक निरीक्षण वितरण के दौरान किसी भी स्थान पर दुग्ध संघ भोपाल के अधिकारियों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत पर्यवेक्षक को करने का अधिकार होगा। उसे निरीक्षण करने से रोकना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने पर निविदा निरस्त करने समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

24. ठेकेदार को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न ही उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका तुरन्त निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल को होगा।

25. डेयरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित 20 किमी./घंटे की गति से ज्यादा गति से नहीं चलाये जावेंगे और न ही डेयरी की परिधि के अंदर वाहन की साफ—सफाई की जावेगी। यदि ऐसा किया गया तो प्रति अवसर रूपये 200/— ठेकेदार पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके देयक से काटा जावेगा।

26. ठेकेदार द्वारा दिये गये भाव स्वीकृत होने पर उसी भाव में परिवहन की अवधि में अपना स्वयं का वाहन चलायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा वाहन चलाने के लिये असमर्थता व्यक्त की तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ठेकेदार का अनुबंध निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार होगा।

27. उपरोक्त किसी भी शर्तो एवं दुग्ध संघ द्वारा दिये गये निर्देशों, शर्तो एवं सूचनाओं की अवहेलना होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संध, भोपाल को होगा।

28. ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में अध्यक्ष, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल या उनके द्वारा नियुक्त संचालक/अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को बंधनकारी होगा।

29. वाहन परिवहनकर्त्ता को क्रेटों का लेखा–जोखा स्वयं रखना होगा कम क्रेट की वसूली जो आदेश पत्र ठेकेदार को दिया जावेगा उस आदेश पत्र प्राप्ति के 6 दिवस के अंदर कम क्रेट संघ में जमा करना होंगे अन्यथा निर्धारित दर के अनुसार बिना पूर्व सूचना के ठेकेदार के देयक से कम क्रेटों की राशि काट ली जावेगी। कटौत्री होने के पश्चात् काटी गई राशि वापस नहीं की जावेगी।

30. ठेकेदार खाली क्रेटों का लेखा–जोखा प्रत्येक माह का अगले माह की 5 तारीख तक स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण कर लेवें। निराकरण पूर्ण न करने की स्थिति में संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके लिये स्वयं ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

31. यह अनुबंध तीन वर्षो के लिये प्रभावशाली रहेगा दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्त्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक–एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्षो हेतु बढ़ाई जा सकेगी।

32. यदि ठेकेदार शर्तो के परिपालन में असमर्थ है या अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो उसको एक माह के पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा एवं संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक वाहन चलाना होगा। ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि विशेष देयकों की राशि राजसात कर ली जावेगी।

33. ठेकेदार के अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तो के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने पर कोई अन्य व्यवस्था करने के लिये भोपाल दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा। इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की दशा में ठेकेदार द्वारा भोपाल दुग्ध संघ के पास जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण भोपाल दुग्ध संघ को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान ठेकेदार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की मांग करने पर तुरन्त करना होगा। क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण अथवा क्षतियों एवं हानियों का जो ठेकेदार से वसूल की जाना है, के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

34. परिवहनकर्त्ता को परिवहन देयकों के साथ ए.एस.सी. द्वारा प्रतिदिन की दूध प्राप्ति विवरण एवं क्रेटों की आवक–जावक बकाया की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी। दुग्ध संघ द्वारा प्रदायित सामग्री तथा ए.एस.सी. को प्राप्त सामग्री में यदि भिन्नता पाई जाती है तो ऐसी मात्रा की धनराशि परिवहनकर्त्ता के परिवहन देयकों/प्रतिभूति से कटौत्रा/वसूल की जावेगी।

35. वाहन ठेकेदार भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का नाम मात्र सदस्य बनेगा, एवं इस अनुबंध से संबंधित कोई भी विवाद केवल पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. न्यायालय में ही प्रस्तुत करेंगे।

36. अनुबंध के बीच अवधि में यदि डीजल, की दरों में वृद्धि/कमी होती है तो अनुपातिक वृद्धि/कमी स्वीकृत परिवहन दरों में की जाएगी।

37. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कॉन्ट्रेक्टर को संबंधित विभाग से कोड नंबर प्राप्त कर प्रावधानों के अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित वाहन ठेकेदार की प्रतिभूति राशि/लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।

38. साँची दुग्ध संघ उत्पादकों को उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर बनाये रखने वास्ते इन्सयुलेटेड वाहन परिवहन वितरण हेतु संघ को उपलब्ध करायेगें, उपलब्ध न कराने की स्थिति में परिवहन ठेका निरस्त हो जावेगा।

39. संघ यदि आपको परिवहनकर्त्ता वास्ते कार्य संपादन हेतु नियुक्त करता है तो आपको संघ हित में यह संघ निर्धारत लक्ष्यों के तहत् करना अनिवार्य होगा, यदि कार्य संपादन निरापित करने में आप सक्षम या संघ के मापदण्डों पर उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं तो आपका परिवहन ठेका एक माह के नोटिस पर संघ को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा कार्य समापन न करने की अक्षमता के लिये आप स्वयं जिम्मेदार एवं जवाबदार होंगे तथा संघ उक्त वितरण मार्ग पर अन्य परिवहन सह वितरण साँची दुग्ध/उत्पाद नियुक्ति वास्ते पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होगा।

40. यह कि दुग्ध की मांग के अतिरिक्त दुग्ध उत्पाद की मांग होने पर एवं वाहन में पर्याप्त स्थान होने पर दुग्ध उत्पाद का परिवहन भी करना अनिवार्य होगा जिसके लिये पृथक से परिवहन व्यय नहीं दिया जायेगा।

41. आपातकालीन स्थिति यथा नदी नाले चढ़ने पर मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में दुग्ध वितरण संभव नहीं होने पर संबंधित क्षेत्र के थाने से लिखित सूचना/प्रबंधक दुग्ध शीतकेन्द्र से लिखित सूचना कार्यालय में 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में नियमानुसार कटौत्रा मासिक देयक से किया जावेगा।

42. उपरोक्त अनुबंध की शर्तो के अलावा समय–समय पर संघ द्वारा जो भी लिखित निर्देश, पत्र तथा परिपत्र दिये जावेगें वह भी इस अनुबंध के भाग होंगे।

**हस्ताक्षर ठेकेदार**

**नामः ––––––––––––––––––––––––**

श्री –––––––––––––––––––––––– आत्मज श्री –––––––––––––––––––– आयु–––––
निवासी––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––भोपाल (म.प्र.)
उपर की निविदा मेरे द्वारा दुग्ध संघ भोपाल की ओर से दिनांक ––––––––– को स्वीकृत की गई।

**हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष/ठेकेदार/परिवहनकर्ता**

**नामः ––––––––––––––––––––––––**

**हस्ताक्षर प्रथम पक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

**दिनांक –––––––––**
**गवाह का नाम –––––––––––––––––––**
**हस्ताक्षर ––––––––––––––––––––**

**दिनांक –––––––––**
**गवाह का नाम –––––––––––––––––––**
**हस्ताक्षर ––––––––––––––––––––**

**दिनांक –––––––––**
**गवाह का नाम –––––––––––––––––––**
**हस्ताक्षर ––––––––––––––––––––**

**दिनांक –––––––––**
**गवाह का नाम –––––––––––––––––––**
**हस्ताक्षर ––––––––––––––––––––**

| मार्ग क्र.30, सैन्य परियोजना, ए.एस.सी बैरागढ़, भोपाल | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | कोड नम्बर | डिपो / पार्लर / एजेन्सी का नाम | स्थान का विवरण | दुग्ध की विक्रय मात्रा |
| 1 | 9 | 1 TRG BN, 3 EME CENTRE | MDF | [illegible] |
| 2 | 8 | 2 TRG BN, 3 EME CENTRE | MDF | [illegible] |
| 3 | 75 | 115 ENGR REGT | MDF | [illegible] |
| 4 | 74 | 21 CASSU | MDF | 210 |
| 5 | 7 | 3 TRG BN, 3 EME CENTRE | MDF | [illegible] |
| 6 | 6 | 4 TRG BN, 3 EME CENTRE | MDF | [illegible] |
| 7 | 53 | C.H.Q. 3 EME CENTRE | MDF | 140 |
| 8 | 52 | HRDC | MDF | 0 |
| 9 | 50 | 21 CO. ARMN. SIGNAL REG | MDF | [illegible] |
| 10 | 45 | [illegible] FD AMB | MDF | 70 |
| 11 | 4 | MILITERY HOSPITAL | MDF | [illegible] |
| 12 | 35 | SELECTION CENTER | MDF | [illegible] |
| 13 | 34 | HQ MP SUB AREA | MDF | [illegible] |
| 14 | 3 | [illegible] COY SUP PL ASC | MDF | [illegible] |
| 15 | 23 | HQ 21 CORE CAMP | MDF | [illegible] |
| 16 | 20 | [illegible] PMR CORE | MDF | [illegible] |
| 17 | 2 | 21 C.G.S.R | MDF | 300 |
| 18 | 17 | 21 PRO UNIT | MDF | 40 |
| 19 | 16 | [illegible] COY COMPO PL ASC | MDF | 100 |
| 20 | 13 | [illegible] FD W KSP | MDF | [illegible] |
| 21 | 12 | 4 MP NCC BN. | MDF | 0 |
| 22 | 11 | [illegible] F. W KSP | MDF | 150 |
| 23 | 10 | [illegible] C / COMPANY | MDF | [illegible] |
| | | कुल लीटर | | **5192** |

1 मॉडल :– वर्ष 2016 या उसके बाद का

2 दूरी :– लगभग 100 कि0 मी0 प्रतिट्रिप

3 भार ढोने की न्यूनतम क्षमता 600 क्रेट